

राजस्थान
कोविड-19 के दौरान राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

5-11 अक्टूबर, 2020

कोविड-19 की महामारी ने पूरे भारत में स्वास्थ्य प्रणाली के लिए गंभीर चुनौती पेश की है और चूंकि इस महामारी का अंत कब होगा, इसके बारे में बताना संभव नहीं होगा, इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कार्यकर्ताओं और लोगों के लिए खतरों को कम करते हुए कोविड-19 के समाधान के उपाय के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाए। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम, कोविड-19 के सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखकर इसे राज्य के सभी 34 जिलों में क्रियान्वयन किया जाना है। राज्य ने अक्टूबर 2020 में एनडीडी कार्यक्रम आयोजित करने के हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाई है। जिला प्रशासन द्वारा अधिसूचित कंटेनमेंट जोन (सक्रिय कोविड-19 के मामलों वाले क्षेत्र) को कृमि मुक्ति कार्यक्रम के दायरे से बाहर रखा गया है।

1. कार्यक्रम की नीति और योजना

क्रियान्वयन की तिथि: 5 से 11 अक्टूबर, 2020 आयोजन किया जायेगा।

क्रियान्वयन दृष्टिकोण:


- राज्य 1 से 19 साल के आयु वर्ग के बच्चों और किशोर व किशोरियां कृमि मुक्ति सप्ताह के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्रों (शहरी एवं ग्रामीण), उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं शहरी क्षेत्र में अरबन पीएचसी के माध्यम से समस्त 1-19 वर्ष के बच्चों को कृमिनाशक एल्बेंडाजॉल की दवा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं एएनएम द्वारा खिलायी जायेगी।

आयु वर्ग	एल्बेंडाजॉल (400 mg) की खुराक
1 से 2 वर्ष तक के बच्चे	आधी गोली को पूरी तरह चम्मच से चूर कर, स्वच्छ पानी में मिलाकर ही चम्मच से पिलाना
2 से 3 वर्ष तक के बच्चे	एक पूरी गोली (चूरकर पानी के साथ)
3 से 19 वर्ष तक के बच्चे	पूरी 1 गोली (चबाकर पानी के साथ)

- कोविड-19 हेतु चिन्हित कंटेनमेंट जोन/घरों, जिन्हें क्वारंटीन किया गया है, में एनडीडी का क्रियान्वयन, जिला प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन/घरों की सूची से हटाने के बाद ही किया जाएगा।
- उक्त गतिविधि के क्रियान्वयन हेतु आशाओं द्वारा 1 से 19 साल के आयु वर्ग के बच्चों और किशोर व किशोरियों को आंगनवाड़ी केन्द्रों पर कृमि मुक्ति की दवा खाने हेतु मोबिलाइज किया जाये एवं मोबिलाइजेशन हेतु प्रेरित किया जायेगा।
- एएनएम एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा एल्बेंडाजॉल की गोली खिलाई जायेगी।
- एएनएम, आशा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, को किसी भी परिस्थिति में कृमि मुक्ति की दवाई बच्चों के माता-पिता या अभिभावक को न दें अथवा उन्हें सौंप कर नहीं आये बच्चों को दवाई हमेशा अपने द्वारा ही खिलाएँ।
- कृमि मुक्ति सप्ताह के दौरान आने वाले एमसीएचएन सत्र के दौरान एवं पीएमएसएमए दिवस के दिन गर्भवती महिलाओं के साथ आने वाले 1-19 वर्ष तक के बच्चों को कृमिनाशक एल्बेंडाजॉल की दवा खिलायी जायेगी।
- एएनएम, आशा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, को बच्चे के माता-पिता/अभिभावक से यह सुनिश्चित करें कि उनका बच्चा बीमार नहीं है एवं बच्चा पूर्व से किसी प्रकार की बीमारी हेतु दवा नहीं खा रहा है, साथ ही माता-पिता/अभिभावक से यह भी पूछें कि बच्चे को किसी कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति से संपर्क तो नहीं हुआ है। उक्त को सुनिश्चिता होने पर बच्चे को कृमिमुक्ति की दवा (एल्बेंडाजॉल गोली) खिलायी जायेगी।
- कार्यक्रम की दौरान आशाओं द्वारा विधालय नहीं जाने वाले 6 वर्ष से 9 वर्ष के बच्चों एवं 10 से 19 वर्ष की विधालय नहीं जाने वाली किशोरी बालिकाओं की सुचना एकत्रित की जाएगी।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं यूपीएचसी में साफ पीने योग्य पानी एवं एल्बेंडाजॉल की समुचित मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
- दवा बंडलिंग योजना और वितरण योजना के अनुसार, एल्बेंडाजॉल फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं (आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आशा/एएनएम) को आंगनवाड़ी केन्द्रों (शहरी एवं ग्रामीण), उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं शहरी यूपीएचसी हेतु उपलब्ध करवाई जाये।
- एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत आशाओं के पास राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम से पूर्व पर्याप्त मात्रा में आईएफए सिरप, पिक, ब्लू की समुचित मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
- आशाओं द्वारा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम में मोबिलाइजेशन विजिट के दौरान आईएफए निम्नानुसार दी जाए -
 - 6 माह से 59 माह के बच्चों को आईएफए सिरप (एक बोतल)
 - 5 वर्ष से 9 वर्ष के बच्चों को आईएफए पिक (एक स्ट्रिप (15 टेबलेट))
 - 10 वर्ष से 19 वर्ष के बच्चों को आईएफए ब्लू (एक स्ट्रिप (15 टेबलेट))

11. एनडीडी कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सावधानियाँ:-

- कृमि मुक्ति सप्ताह के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्रों (शहरी एवं ग्रामीण), उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं शहरी क्षेत्र में अरबन पीएचसी में समस्त 1-19 वर्ष के बच्चों को कृमिनाशक एल्बेंडाजॉल की दवा खिलाने हेतु कोविड-19 के सभी निर्देशों (जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, दस्ताने पहनना, व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन, भीड़ रोकने के प्रबन्धन आदि) का पालन किया जाये।


डॉ. गुणमाला जैन
परियोजना निदेशक

- प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्रों (शहरी एवं ग्रामीण), उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं शहरी क्षेत्र में अरबन पीएचसी में कार्यक्रम के दौरान खुली एवं छायादार जगह पर 6-6 फिट की दूरियों पर गोले अंकित किये जाये जिससे 1-19 वर्ष के बच्चों एवं किशोर-किशोरियों में उचित दूरी की सुनिश्चिता की जाये।
- एल्बेडाजॉल देने की निगरानी करते समय, एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस बात की जांच करेंगी कि बच्चे में कोविड-19 के लक्षण जैसे बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और नाक बंद तो नहीं हैं और पूर्व में कोविड-19 के मरीजों से संपर्क में नहीं होने की भी जानकारी प्राप्त करेगी।
- एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किसी बच्चे में कोविड-19 के लक्षण दिखाई देने पर बच्चे को कृमि मुक्ति की दवा नहीं खिलायी जायेगी।
- सभी लाभार्थियों को दवा खिलाने से पूर्व एएनएम एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अपने हाथों को साबून से कम से कम 20 सेकण्ड तक धोने होंगे।
- गोली देने हेतु उपयोग में लिये जाने वाले चम्मच एवं कटोरी को प्रत्येक बार उपयोग से पूर्व साबून एवं पानी से धोकर साफ किया जाये।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों/उप स्वास्थ्य केन्द्रों/यूपीएचसी पर प्रत्येक बच्चे द्वारा स्वयं की पृथक चम्मच लाने की सुनिश्चिता की जायेगी (छोटे बच्चों (1 वर्ष से 3 वर्ष तक के) द्वारा दो चम्मच एवं कटोरी)।
- समस्त स्टॉफ, प्रथम पंक्ति कार्यकर्ताओं, बच्चों व किशोर-किशोरियों, बच्चों के माता-पिता एवं अभिभावकों के लिए हाथ धोने की सुविधा हेतु साबुन और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं यूपीएचसी में कोविड-19 दिशा-निर्देशानुसार नियमित सफाई और सेनीटाइजेशन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- कृमि मुक्ति स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को खांसते या छींकते समय अपने मुख या नाक को अपनी मुड़ी कोहनी से ढकना चाहिए, आंख, नाक और मुख को नहीं छूना चाहिए और हाथों को साफ रखना चाहिए।
- कृमि मुक्ति स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को किसी व्यक्ति के संपर्क में आने पर और किसी सतह को छूने के बाद साबुन/लिविड सोप एवं पानी से अपने हाथ धोएं एवं हाथों को हैंड सेनिटाइजर (अल्कोहल युक्त >60%) से साफ करें।
- कोविड-19 के उच्च जोखिम ग्रुप में आने वाली एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व आशाओं को कार्यक्रम गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाएगा। एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ व आशाएँ जो की कोविड-19 से संक्रमित हैं अथवा कोविड-19 के लक्षण हैं को कार्यक्रम की गतिविधि में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, उनके क्षेत्र में कृमि मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन 14 दिन के बाद लक्षण नहीं होने पर ही करना है।

III. माईक्रोप्लानिंग:-

- आशा अपने परिवार स्वास्थ्य रजिस्टर की सहायता से लक्षित 1-19 वर्ष के बच्चों और किशोर/किशोरियों की सूची तैयार करेगी। आवश्यकता होने पर वो 1-5 वर्ष के बच्चों (आंगनवाड़ियों में पंजीकृत) की सूची प्राप्त करने हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और 6-19 वर्ष के बच्चों (स्कूलों में नामांकित) की सूची प्राप्त करने हेतु शिक्षकों की सहायता लेंगी।
- आशा लक्षित 1-19 वर्ष के बच्चों और किशोर/किशोरियों को कृमि मुक्ति की दवा के लिए प्रतिदिन आंगनवाड़ी केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं यूपीएचसी पर लाने हेतु कार्ययोजना बनाएगी, इस हेतु आशाओं द्वारा अपने आंगनवाड़ी क्षेत्र को छोटे-छोटे गुप/कल्स्टर में विभाजित कर बच्चों को मोबिलाइज किया जायेगा।
- आशा फेसिलिटेटर/सुपरवाइजर दवा की उपलब्धता और कार्यक्रम कार्यान्वयन की बेहतर समझ सुनिश्चित करने के लिए आशा और एएनएम के बीच सेतु का काम करेगा।
- शहरी क्षेत्रों में शहरी आशा उपरोक्त गतिविधियां करेगी। शहरी झुग्गी बस्तियों माईक्रोप्लानिंग संबंधित यूपीएचसी द्वारा की जायेगी।
- एएनएम द्वारा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को अपने-अपने क्षेत्र में लक्षित लाभार्थियों की अनुमानित संख्या के अनुसार उन्हें दवा उपलब्ध करवाई जायेगी।

IV. आशा प्रोत्साहन राशि:-

- आशाओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान आशा सॉफ्ट के माध्यम से किया जायेगा।

V. राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के दौरान प्रतिकुल घटना प्रबंधन :

- समुदाय में लोगों को प्रतिकुल घटना के संकेतों की जानकारी, घर पर उनके निवारण एवं रेफरल आदि के बारे में चिकित्सा अधिकारी द्वारा एएनएम, आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रशिक्षित किया जायेगा। (संभवत वर्चुअल माध्यम से)
- एएनएम अपने उप-केन्द्र की संपूर्ण प्रभारी होंगी और फील्ड में कोई भी सामान्य प्रतिकुल घटना होने पर पहली संपर्क व्यक्ति होंगी।
- प्रतिकुल घटना के निवारण हेतु कार्य तेजी से किया जाना चाहिए और स्वास्थ्य विभाग में इसकी सूचना के आदान-प्रदान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- प्रतिकुल घटना के निवारण हेतु एमएमयू व आरबीएसके टीमो द्वारा भी सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- अभिभावकों/माता-पिता को एएनएम व चिकित्सा अधिकारी और निकटवर्ती चिकित्सा संस्थानों का पता व फोन नं. एवं 108 के नम्बर उपलब्ध कराए जायेंगे।
- एएनएम, आशा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, को सभी परिवार वालों को सामान्य प्रतिकुल घटना व कृमि के कारण होने वाले मामूली दुष्प्रभाव (जैसे जी मिचलाना, उल्टी, दस्त, पेट में हल्का दर्द और थकान क अनुभव) के बारे में बताये, साथ ही उससे

निपटने हेतु कुछ सरल उपाए भी बताएं (जैसे बच्चे को खुली व छायादार जगह में लेटाना, पीने का साफ पानी देना एवं स्वयं की निगरानी में रखना आदि)।

- किसी प्रतिकूल घटना के मामले में निवारण हेतु 108 की सेवाएं ली जायेगी।
- कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की प्रतिकूल घटना के समाधान व प्रबंधन हेतु प्रत्येक चिकित्सा संस्थान (सीएचसी/पीएचसी/यूपीएचसी/एसडीएच) में एडवर्स इवेंट रेस्पॉन्स मैनेजमेंट टीम का गठन किया जाये, साथ ही 108 को तैयार रखा जाए।
- राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के दौरान आशा, ए.एन.एम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, द्वारा किसी भी प्रकार की प्रतिकूल घटना की समाधान के लिए सजग रहे एवं सुनिश्चित करें कि प्रतिकूल घटना होने पर इसकी सूचना ए.एन.एम. के माध्यम से 108 एवं चिकित्सा अधिकारी प्रभारी व ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिला स्तरीय नोडल अधिकारी (Dy/Add. CMHO FW) तथा राज्य नोडल अधिकारी (SNO-Child health, NHM) को तुरंत दी जाये।
- फॉर्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया (पीवीपीआई) के निर्देशों के अनुसार प्रतिकूल घटना से निबटा जाएगा। दवा के गलत रिएक्शन और इसके उपचार की रिपोर्टिंग में सहायता के लिए टॉल फ्री नंबर 1800-180-3024 मुहैया कराया जाएगा।

VI. प्रशिक्षण और अनुकूलन

- कोविड-19 महामारी के दिशा-निर्देशा की पालना करने हेतु कार्यक्रम का प्रशिक्षण वरचुंबल (VC/Video Clips) के माध्यम से ही किया जायेगा।
- प्रथम पंक्ति कार्यकर्ता को प्रशिक्षण हेतु केवल छोटे प्रशिक्षण वीडियो और स्मार्टफोन माडयूल, व्हाट्सएप वीडियो और इन्फोग्राफिक आदि का उपयोग किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति वाला कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा।
- सभी प्रशिक्षण सामग्रियां विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी।
- कार्यक्रम की महत्वपूर्ण जानकारियां, "क्या करें और क्या न करें" की सूचना देने के लिए फेसबुक, एसएमएस और व्हाट्सएप ग्रुप का उपयोग किया जाएगा। प्रशिक्षण वीडियो चिकित्सा अधिकारियों व BCMO, LS, CDPO द्वारा एवं एएनएम आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ साझा किए जाएंगे।

प्रशिक्षण कैलेंडर

राज्य स्तर एवं जिला स्तरीय टीओटी	<ul style="list-style-type: none"> • प्लेटफॉर्म: वीडियो कॉन्फ्रेंस • जिला स्तरीय प्रतिभागी: उप/अति सीएमएचओ (प.क), डीपीएम, यूपीएम, डीएनओ, एसओ (प.क.), डीसी, डीडी (आईसीडीएस) • ब्लॉक स्तरीय प्रतिभागी: बीसीएमओ, सीडीपीओ, बीपीएम, वीएएफ
सीएचसी/पीएचसी स्तर प्रशिक्षण	<ul style="list-style-type: none"> • प्लेटफॉर्म: व्हाट्सएप पर साझा किए गए वीडियो और टेलीफोन पर विवरण • समय: सितंबर माह में • प्रतिभागी: चिकित्सा अधिकारी, एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर

VII. आईईसी और जागरुकता

जागरुकता फैलाना, समुदाय को जागरुक बनाना और लोगों को प्रेरित करने का कार्य एनडीडी कार्यक्रम में उच्च स्तरीय कवरेज को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। कोविड-19 के कारण उत्पन्न समस्याओं को देखते हुए राजस्थान में स्थानीय रूप से प्रासंगिक और संदर्भित तकनीक के उपयोग पर आधारित जागरुकता गतिविधि कार्यान्वित करेगा जो की अंतिम स्तर तक पहुंचने के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। आईईसी और जागरुकता के लिए निम्नलिखित प्रयास राज्य स्तर द्वारा किये जायेंगे:-

- आईईसी सामग्री की विषयवस्तु में बदलाव करना और इन्हें पीडीएफ और जीआईएफ प्रारूप में बदलना।
- आईईसी सामग्री व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे मीडियो चैनलों के जरिये आसानी से साझा करना।
- स्वच्छता, हाथ धोने और एल्बेडॉजॉल लेने के संदेशों का अधिक प्रसार करने के लिए एनडीडी के लिए प्रासंगिक रेडियो स्क्रिप्ट तैयार करना।
- कार्यक्रम के रिपोर्टिंग प्रपत्र के मुद्रण हेतु निदेशालय प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक एफ 26() एनएचएम/सी.एच./SANCTION/2020-21/428 दिनांक 23.05.2020 को जारी की जा चुकी है। कार्यक्रम मानक के अनुसार इसके अतिरिक्त कोई भी मुद्रण नहीं किया जावे।

VIII. कार्यक्रम प्रबंधन

- नोडल अधिकारी कार्यक्रम की सभी गतिविधियों का रिकार्ड रखेंगे और लॉजिस्टिक्स, प्रशासन और फील्ड स्तर पर कार्यान्वयन से जुड़ी बाधाओं को दूर करने में मदद करेंगे।
- फील्ड स्तर पर एएनएम सम्बन्धित आशा के लिए सहायक की भूमिका निभाएंगी और दवाओं की पर्याप्त मात्रा और रिपोर्टिंग फॉर्मेट की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

IX. कवरेज रिपोर्टिंग

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के दौरान जारी किए गए संशोधित एनडीडी निर्देश के अनुसार कवरेज रिपोर्टिंग की जाएगी। कवरेज रिपोर्टिंग के लिए मौजूदा एनडीडी एप/वेब पोर्टल का उपयोग किया जाता रहेगा। कवरेज डाटा की रिपोर्टिंग करने के लिए निम्नलिखित रिपोर्टिंग माध्यमों का उपयोग किया जाएगा:

- समस्त एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कृमि मुक्ति सप्ताह के दौरान, प्रतिदिन दवा प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या अपने-अपने रजिस्टर में दर्ज करेंगी।

डॉ. गुणमती जैन

- आशा द्वारा रिपोर्टिंग प्रपत्र में कवरेज रिपोर्ट (आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्राप्त), एएनएम को जमा करेगी।
- एएनएम अपने क्षेत्र की रिपोर्ट (अपने क्षेत्र के आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र की संकलित रिपोर्ट) को चिकित्सा संस्थानों (सीएचसी/पीएचसी/यूपीएचसी/एसडीएच) पर जमा करेगी।
- कार्यक्रम आयोजन (5 से 11 अक्टूबर, 2020) के पश्चात् शेष बची हुई एल्बेडाजॉल गोलियां एवं रिपोर्टिंग प्रपत्र एएनएम द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जमा किया जायेगा।
- चिकित्सा संस्थान (सीएचसी/पीएचसी/यूपीएचसी/एसडीएच) संकलित रिपोर्ट ब्लॉक को प्रेषित करेंगे।
- ब्लॉक स्तर पर सभी चिकित्सा संस्थानों से प्राप्त रिपोर्ट को संकलित किया जावेगा और इसकी प्रविष्टि सीधे ब्लॉक रिपोर्टिंग फॉर्म (केवल डिजिटल फॉर्मेट) में एनडीडी एप में करेंगे।
- जिला पदाधिकारी सीधे एनडीडी एप में डाटा की समीक्षा करेंगे और अनुमोदन करेंगे।
- राज्य नोडल अधिकारी एनडीडी एप पर डाटा की समीक्षा करेंगे और फाइनल कवरेज रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के बाल स्वास्थ्य विभाग के साथ साझा करेंगे।
- एनडीडी एप हेतु पूर्व में दिये गये लॉगइन, पासवर्ड का उपयोग करेंगे।
- एनडीडी रिपोर्टिंग प्रपत्रों में एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम हेतु आउट ऑफ स्कूल के टारगेट आंगडो को गूगल फॉर्मेट /ओडीके में इन्द्राज करवाया जाना सुनिश्चित करें। उक्त प्राप्त आंकडों को सत्यापित कर ही गूगल फॉर्मेट /ओडीके में प्रविष्टि करें।

X. कार्यक्रम की निगरानी

कोविड-19 के दौरान, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने की आवश्यकता को देखते हुए कृमि मुक्ति सप्ताह की व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग नहीं की जायेगी।

- इसकी तकनीकी सहायता के लिए एविडंस एक्शन संस्था कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए टेली-कॉलिंग प्रणाली द्वारा स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करेगा।
- प्रत्येक जिले में कार्यक्रम की आयोजन से पूर्व, दौरान एवं पश्चात जिलाधिकारियों (स्वस्थ एवं आईसीडीएस), खंड अधिकारियों (स्वस्थ एवं आईसीडीएस), चिकित्सा अधिकारियों, एलएस, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं (आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आशा/एएनएम) को फोन किया जाएगा।
- आवश्यक त्वरित सुधारक कार्यवाही के लिए राज्य पदाधिकारियों को निष्कर्षों से उसी दिन अवगत कराया जाएगा।
- केन्द्रीकृत टेली-कॉलिंग प्रणाली को क्रियान्वित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को आशा और एएनएम व आईसीडीएस द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के टेलीफोन नम्बर उपलब्ध करवाये जायेंगे।

XI. सहयोगी विभागों के कार्य और जिम्मेदारियां:

- सभी सहयोगी विभागों, स्वास्थ्य, डब्ल्यूसीडी/आईसीडीएस, शिक्षा और पीआरआई को एनडीडी के सफल कार्यान्वयन के लिए मिलकर काम करना है। सभी सहयोगी विभाग राष्ट्रीय कृमि मुक्त कार्यक्रम की जागरूकता फैलाने के लिए अपने-अपने उपलब्ध मंचों के माध्यम से कार्यक्रम संबंधी सूचना का प्रसार करेंगे और वे मिलकर सभी स्तरों पर कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे।
- शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से विद्यालय में पंजीकृत बच्चों में कार्यक्रम हेतु जागरूकता में यथासंभव सहयोग व बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा (एल्बेडाजॉल) लेने हेतु प्रेरित किया जाये।

XII. सहयोगी संस्थाओं का कार्य:-

विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही सहयोगी संस्थाओं (UNICEF, एविडंस एक्शन) को राज्य में विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। कोविड-19 के कारण उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों जैसे प्रशिक्षण, आईसीडीएस, मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग करने के नवीन और आसान तरीकों से राज्यों की मदद करने में सहयोगी संस्थाओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण है। उनकी एनडीडी कार्यक्रम में भागीदारी के लिए प्रस्तावित गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

- राज्य और जिला स्तर पर सहयोगी विभागों की वर्चुअल योजना और समीक्षा बैठकों को सुगम बनाना है।
- आईसीडीएस और प्रशिक्षण सामग्री को ऐसे फॉर्मेट में विकसित और अनुकूलित करने में राज्य सरकार की मदद करना जिसे अंतिम स्तर तक तकनीकी चैनलों (सोशल मीडिया, व्हाट्सएप आदि) द्वारा साझा किया जा सकें।
- जिला, ब्लॉक फेसिलिटी स्तर और प्रासंगिक प्रथम पंक्ति कार्यकर्ता (आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, एएनएम) स्तर पर टेली-कॉलिंग के द्वारा दवा वितरण और क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करने में राज्य सरकार की सहायता करना।
- राज्य के रिपोर्टिंग के अनुसार कवरेज डाटा की समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर पदाधिकारियों को सहयोग प्रदान करना।
- तीसरे पक्ष के माध्यम से कार्यक्रम कार्यान्वयन की निष्पक्ष मॉनिटरिंग करना।

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0 क0 विभाग
राजस्थान, जयपुर।